रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2008/आश्विन 18, 1930
No. 549] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2008/ASVINA 18, 1930

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2008

सा.का.नि. 727(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 53 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा समर्थन के संप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर जागरुकता और प्रशिक्षण उपायों की विवरणी) नियम 2008 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 12) अभिप्रेत है ;

(ख) "अपील अधिकरण" से अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "वर्ष" से ठीक पश्चात् वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित हैं किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. उपायों की विवरणी तैयार किया जाना और प्रस्तुत किया जाना (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर प्रतिस्पर्धा समर्थन के संप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धा मुद्दों के बारे में जागरुकता पैदा करने और प्रशिक्षण देने के लिए किसी प्रस्तावित या विद्यमान उपायों की बावत वचनबद्ध क्रियाकलापों के संबंध में पूर्व वर्ष के दौरान किए गए अपने क्रियाकलापों का सही और पूर्ण विवरण देते हुए इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथाअधिकथित प्ररूप में विवरणी और कथन प्रस्तुत करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार आयोग से प्रतिस्पर्धा समर्थन के संप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धा मुद्दों के बारे में जागरुकता पैदा करने और प्रशिक्षण देने के लिए किसी प्रस्तावित या विद्यमान उपायों की बावत ऐसी अन्य सूचना मांग सकेगी जैसा वह समय-समय पर विनिश्चित करे ।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से विवरणी में किसी अन्य मद को, जो अनुसूची में सम्मिलित नहीं है भी सम्मिलित कर सकेगा ।

(4) आयोग, केन्द्रीय सरकार को उस वर्ष के जिसके लिए यह तैयार किया गया है समाप्त होने पर ठीक पूर्व 30 दिन की अवधि के भीतर विवरणी अग्रेषित करेगा ।

(5) विवरणी को तैयार करने में प्ररूप और समय से संबंधित मामले जिनकी बावत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है, प्रत्येक दशा में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय आयोग पर बाध्यकर होगा ।

अनुसूची

प्रतिस्पर्धा समर्थन और जागरुकता के उपायों की विवरणी का प्ररूप

(नियम 3 का उपनियम (1) देखें)

विवरणी और कथन निम्नलिखित प्ररूप में प्रस्तुत किए जाएंगे ।

1. प्रतिस्पर्धा समर्थन

(i) प्रतिस्पर्धा समर्थन पर और प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने के लिए जनता/विशेषज्ञ/नीति निर्माता/विनियामक निकायों के साथ कार्यशाला, सेमिनार और अन्य पारस्परिक क्रियाएं ।

कार्यशाला/सेमिनार की विषयवस्तु	भाग लेने वालों की संख्या	तारीख जिसके दौरान आयोजित हुआ ।	हितग्राही अर्थात् सरकारी कर्मचारी, उद्योग शिक्षाविद्, वृत्तिक और अन्य को विनिर्दिष्ट किया जाए ।	निधिकरण का तरीका

(ii) प्रतिस्पर्धा समर्थन और प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने के लिए प्रकाशित पत्र और अध्ययन ।

प्रकाशन का शीर्षक	संक्षिप्त प्रयोजन/लक्ष्य समूह ।	प्रकाशन का मास	क्या मौलिक है या पुनर्मुद्रित ।

II. प्रतिस्पर्धा विनियामक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्टेक होल्डर्स की क्षमता निर्माण ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु ।	भाग लेने वालों की संख्या ।	तारीख जिसके दौरान आयोजित हुआ ।	संक्षिप्त आशय और प्रयोजन ।	निधिकरण का तरीका ।	टिप्पणी, यदि कोई हो ।

III. आयोग द्वारा कराए गए प्रतिस्पर्धा संबंधी आंचलिक/विनियामक प्रभाव निर्धारण, बाजार अध्ययन और अनुसंधान परियोजना ।

बाजार अध्ययन/अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रयोजन	आरंभ होने की तारीख	पूरा होने की तारीख	टिप्पणी, यदि कोई हो ।

iv आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित/डाले गए परामर्श पत्र ।

v प्रतिस्पर्धा समर्थन, प्रतिस्पर्धा मामलों में जागरुकता पैदा करने और क्षमता निर्माण के लिए किए गए कोई अन्य प्रयास ।

[फा. सं. 5/21/2003-आईजीसी]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2008

G.S.R. 727(E).— In exercise of the powers conferred by clause (l) of sub-section (2) of the section 63 read with sub-section (1) of section 53 of the Competition Act, 2002 (Act 12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short title and commencement.–** (1) These Rules may be called the Competition Commission of India (Return on Measures for the promotion of competition Advocacy, Awareness and Training on Competition issues) Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. –** (1) In these Rules, unless context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Competition Act, 2002 (Act 12 of 2003);

(b) "Appellate Tribunal" means the Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 53A of the Act.

(c) "Commission" means the Competition Commission of India established under section 7 of the Act;

(d) "Year" means the financial year beginning on 1st April and ending on 31st March of the year immediately following.

(2) Words and expression used and defined in the Competition Act, 2002 but not defined in these rules, shall have the same meanings assigned to them in that Act.

3. **Preparation and furnishing of the Return on Measures.–** (1) The Commission shall furnish on the completion of every year return and statements in the form as laid down in the Schedule annexed to these rules in regard to any proposed or existing measures for the promotion of competition advocacy, creating awareness and imparting training about competition issues to the Central Government, for the activities undertaken, giving a true and full account of its activities, performed during the previous year.

(2) The Central Government may seek from the Commission such other information with regards to any proposed or existing measures for the promotion of competition advocacy, creating awareness and imparting training about competition issues as it may decide from time to time.

(3) The Commission may also include in the return any other item, not included in the Schedule, with the prior permission of the Central Government.

(4) The Commission, shall forward the return to the Central Government within a period of thirty days immediately following the completion of year for which it has been prepared.

(5) The matters relating to form and time of preparation of return, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Commission.

SCHEDULE

Form of the Return on Measures on Competition Advocacy and Annexures

(see sub-rule (1) of rule 3)

The return and statements shall be submitted in the following format:

I. Competition Advocacy

(i) Workshops, seminars and other interactions with public/experts/policy makers/regulatory bodies on Competition Advocacy and for creating awareness of competition issues.

Subject matter of the workshop/seminar	Number of participants	Dates during which held	Beneficiaries, i.e., government officials, industry, academician, professionals and others to be specified	Method of funding

(ii) Papers and studies published for competition advocacy and for creating awareness of competition issues.

Title of the publication	Brief purpose/target group	Month of publication	Whether original or reprint

II. Capacity building of stakeholders to participate in competition regulatory process.

Subject matter of the training programme	Number of participants	Dates during which held	Brief intent and the purpose	Method of funding	Remarks, if any

III. Competition related Sectoral/Regulatory impact assessment; Market studies and research projects carried out by the Commission.

Title of the market study/research project	Purpose	Date of initiation	Date of completion	Remarks if any

IV. Consultation papers published/placed on website of the Commission.

V. Any other effort made for competition advocacy, creating awareness and capacity building in competition matters.

[F. No. 5/21/2003-IGC]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.